Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 17 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपी आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 फरवरी*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज शनिवार को सुमेरपुर, पाली में कार्यवाही करते हुये डॉ शरद कुमार सक्सेना वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतगढ, जिला पाली अतिरिक्त प्रभार **ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समेरपुर पाली** को 17 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की एम.ओ. मोबिलिटी भुगतान बिल की कुल राशि के 30 प्रतिशत रिश्वत के रूप तथा बिल पास करने की एवज में डॉ शरद कुमार सक्सेना वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतगढ, जिला पाली अतिरिक्त प्रभार **ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समेरपुर पाली** द्वारा 17 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिंह लखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ शरद कुमार सक्सेना पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना निवासी 32, साकेत नगर, सुमेरपुर पाली हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतगढ, जिला पाली अतिरिक्त प्रभार **ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समेरपुर पाली** को परिवादी से 17 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।